सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर मुकाम नागौर (राज.)

व इजलाश श्री बृजेन्द्र मीना R.A.S

मूलाराम पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी सथेरण तह. व जिला नागौर बनाम ① सुरजा W/o. स्व. तिलाराम ② ओमप्रकाश पुत्र स्व. तिलाराम ③ अन्नी पुत्री स्व. तिलाराम जाति जाट निवासीगण सथेरण. ④ तहसीलदार नागौर

दावा राजस्व वाद मुकद्दमा 68 / सन 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

व हाजरी मिनजानिब मुद्दई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

खेत खसरा नंबर 1162 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा का पूर्वी एवं दक्षीणी रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा वादी के तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे घोषित किया जाता है। खेत खसरा नंबर 1162 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा मे से उत्तरी पश्चिमी रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1161

लीज मुबलिक बाबत P.T.O

खर्चा इस मुकद्द में मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें ।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 1 सन 2019

दस्तखत [signature] सहायक कलक्टर (मु.)

ओहदा नागौर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

रकबा 9 बिस्वा गेर मुमकीन ढाणी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के सह कब्जे काश्त बंट व खातेदारी मे घोषित किये जाते है। खेत खसरा न. 1162 मे से वादी के बंट शुदा भू- भाग के कब्जा काश्त व रहवास मे दखलन्दाजी करने व कराने से प्रतिवादीगण 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है।

कार्यालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर

बेइजलास बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 68 / 2016

वादी– बनाम प्रतिवादीगण–

मूलाराम पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम जाति जाट
निवासी ग्राम सथेरण तहसील
व नागौर,

1. सुरजा पत्नी स्व. तिलाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. तिलाराम
3. अन्नी पुत्री स्व. श्री तिलाराम
   सभी जाति जाट निवासीगण
   सथेरण तहसील व जिला नागौर
4. राज्य जरिये तहसीलदार नागौर।

दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाडा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा इत्यादि

निर्णय **दिनांकः– 18.01.2019**

वादी वकील श्री लालाराम ज्यानी।
प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

1. यह हैं कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पति व पिता तिलाराम सगे भाई थे हैं जो स्व. गोविन्दराम के पुत्रगण थे व है।
वंशावली निम्न अनुसार हैं–

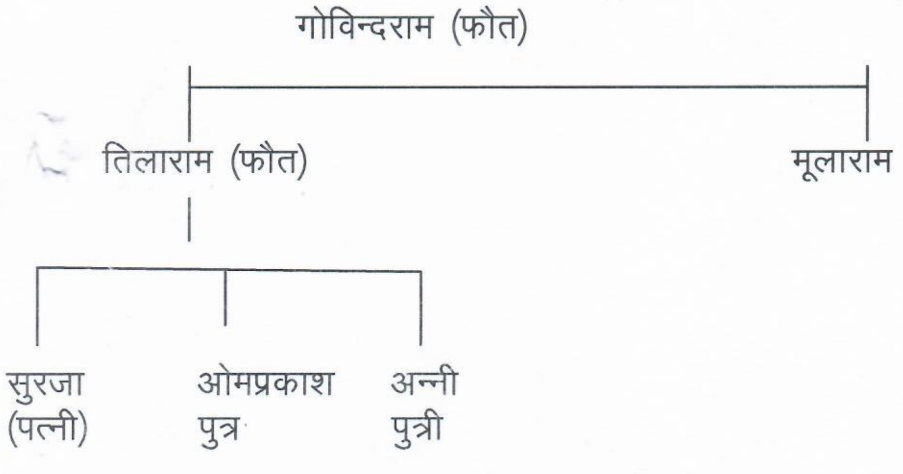

2. यह है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पुश्तेनी कब्जा काश्त व खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 1162 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1161 रकबा 9 बिस्वा गेर मुमकीन ढाणी वाके मौजा सथेरण में रहते चले आये हैं। गोविन्दराम का स्वर्गवास सन् 2013 में हो चुका हैं। लेकिन म्यूटेशन प्रविष्टि पक्षकारान के नाम होना शेष है। पक्षकारान ही स्व. गोविन्दराम के विधिक उतराधिकारीगण है।

3. यह हैं कि वादी व प्रतिवादीगण स. 1 से 3 के पति व पिता तिलाराम संवत् 2053 में माह श्रावण में अलग अलग हो गए थे वादी अपने पिता गोविन्दराम के साथ रहा था तिलाराम जब परिवार से अलग हुए तब खेताय का बाहामी बंटवाडा निम्न अनुसार कर लिया गया–

अ– कि खेत खसरा नम्बर 1162 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा का पूर्वी एवं दक्षिणी रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा वादी के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया जिस पर वादी एवं वादी के पिता काबिज रहते हुए कांश्त करते आ रहे थे व आज दिन वादी काबिज रहकर काश्त कर रहा है। वादी के बंट सुदा भाग में रहवासी बारहमासी ढाणी पानी का टांका व बाडा बना हुआ रहता चला आया है।

ब– खेत खसरा न. 1162 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा में से उत्तरी पश्चिमी रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1161 रकबा 9 बिस्वा गेर मुमकीन ढाणी तिलाराम के तन्हा बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखे गए जिस पर वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 काबिज रहते हुए काश्त करते आ रहे हैं।

4. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बाहामी बंटवाडा से इन्कार कर वादी के बंटसुदा भूभाग में दखलअन्दाजी करने व वादी के बंटसुदा भुभाग में जबरदस्ती मकान निर्माण करने पर आमादा है तथा आगामी फसल के काश्त के समय वादी को काश्त करने से मना करने की धमकी दे रहे हैं इसलिए वादी की ओर से यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवाडा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा इत्यादि के लिए पेश करना आवश्यक हुआ है।

वदी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण जरिए सम्मन तलब किए गए।

प्रतिवादीगण को सम्मन जरिए तलब किए गए। प्रतिवादीगण 1 से 3 के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड एडी से भिजवाये गए थे फिर भी उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के विरूद्व दिनांक 19.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजीसाक्ष्य में प्रदर्श 1 से 2 प्रस्तुत किए एवं वादी मूलाराम के सशपथ बयान लिए गए जो शामिल पत्रावली है।

वादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी ग्राम सथेरण प्रदर्श 1 में दर्ज खसरा नम्बर 1161 एवं 1162 गोविन्दराम पुत्र पन्नाराम जाट की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार गोविन्दराम वादी मूलाराम के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के श्वसुर व दादा हैं। पक्षकारान गोविन्दराम के विधिक उतराधिकारी हैं इस प्रकार वादग्रस्त खसरे पक्षकारान के पुश्तैनी साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

क– खेत खसरा नम्बर 1162 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा का पूर्वी एवं दक्षिणी रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा वादी के तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता है।

ख– खेत खसरा नम्बर 1162 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा में से उत्तरी पश्चिमी रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1161 रकबा 9 बिस्वा गेर मुमकीन ढाणी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के सह कब्जे काश्त बंट व खातेदारी में घोषित किये जाते हैं।

ग– खेत खसरा नम्बर 1162 में से वादी के बंटसुदा भु–भाग के कब्जा काश्त व रहवास में दखलअंदाजी करने व कराने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत करने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)
नागौर